

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

२५-१०-२५

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण
से प्राप्त फर्द बटवारा पर वकील वादी की एक
तरफा बहस सुनी गई. वकील वादी ने दावा फर्द
बटवारा अनुसार डिक्ली किया जाने का निवेदन
किया. दावा फर्द बटवारा अनुसार अन्तिम डिक्ली
किया जाता है। अन्तिम निर्णय व डिक्ली पृथक् से
लिखी जाकर शामिल पत्रावली कि गई. पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

५५

वा सं० : 19/19

1- पीसालाल पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
.....वादीगण

-- बनाम --

- 1- बाघचंद पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 2- गंगाराम पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 3- संजय पिता रामचन्द्रग गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 4- अन्नू पिता रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 5- पूजा पिता रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 6- फौरी पत्नी रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 7- राजूलाल पिता रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 8- हाबूलाल पिता रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 9- जेतीबाई पत्नी रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 10- रामेश्वरलाल पिता काना गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 11- हरकू पत्नी खाना गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 12- शिवलाल पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 13- शंभू पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 14- सायर पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 15- बरजी पत्नी हीरा गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 16- मांगीलाल पिता मोडा गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 17- भैरूलाल पिता मोडा गुजर निवासी मडावदा तह0 बेगू
- 18- श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगू
.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :: के.सी.मंत्री

अधिवक्ता वादीगण

परोकार सरकार

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 24.10.2024

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 के तहत वकील श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत निवेदन इस प्रकार से किया है कि-मौजा ग्राम मडावदा प0ह0 आँवलहेडा तह0 बेगू की वर्तमान जमावंदी संवत 2071-74 खाता सं0 245 आराजी सं0 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 944, 945, 946 कुल कीता 14 कुल रकबा 4.2200 है0 है।


यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा 2/24, प्रतिवादी सं0 3 से 6 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 7 से 9 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 10, 11 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 12 से 14 का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी सं0 15 से 17 का हिस्सा 1/3 अंकित स्थित होकर निहित है। हिस्सानुसार मौके पर कब्जा होकर सभी के उपयोग उपभोग में है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजीयात का विधिवत मीट्स एंड बाउण्डस में हिस्सा विभाजन नहीं होने से फसल काटने एवं बौने के समय आये दिन विवाद होता रहा है जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीगण प्रतिवादीगण को दिनांक 17.09.2018 को आराजीयात का तहसील कार्यालय में चल कर मीट्स एंड बाउण्डस में विभाजन प्रस्ताव बना, आपसी सहमति से विभाजनपत्र प्रस्तुत करने बावत प्रस्ताव रखा तो उन्होंने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद विधि अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी में से दर्ज हिस्सानुसार वास्ते बंटवारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 17.09.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोप की प्रार्थना करता है:-

(अ) कि पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम सं0 1 में वर्णित मौजा मडावदा प0ह0 आँवलहेडा की आराजीयात कित्ता 14 कुल रकबा 4.220 का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 17 के मध्य वादी का दर्ज हिस्सा 1/6 का अच्छी से अच्छी से बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने का आज्ञापति प्रदान की जावे।


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

(ब) अन्य कोई अनुतोप जो सुलग वादी हो प्रदान कराया जावे।
वाद अ०धा० 53 राज०का०अधि० दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 2 से 13 व 15 से 18 सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं प्रतिवादी सं० 1 व 14 को जरिये रजिस्टर्ड ए०डी० सम्मन से तलब किया जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी सं० 1 व 14 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने के पश्चात वकीलवादी द्वारा वादी धीसालाल का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी संवत् 2071-2074 कर बगान कलमबद्ध कराये गये।

पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस दावा अ०धा० 53 राज०का०अधि० के लिये सुनी गयी। जिन्होंने वादपत्र अनुसार अपनी बहस को निवेदन करते हुए वादपत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 का हगारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कलम सं० 1 में दर्ज अंकित आराजी मौजा रावडदा प०ह० आँवलहेडा के आराजी सं० 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 944, 945, 946 कुल कीता 14 कुल रकबा 4.2200 है० भूमि में वादी धीसालाल पिता कालू जी गुर्जर 1/6 हक हिस्सा का विभाजन कराने के अधिकारी पाये जाते हैं।

अतः वाद वादी का अ०धा० 53 राज०का०अधि० का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है मौजा रावडदा प०ह० आँवलहेडा के आराजी सं० 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 944, 945, 946 कुल कीता 14 कुल रकबा 4.2200 है० भूमि में वादी धीसालाल पिता कालू जी गुर्जर 1/6 हक हिस्सा उक्तानुसार करते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर काबिज अनुसार भूमि का विभाजन मिट्स एंड वाउण्ड्स अनुसार करते हुए शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार रखते हुए तहसीलदार वेगू को 1500 रुपये कमिश्नर शुल्क पर नियुक्त किया जाता है उक्त निर्णय अनुसार प्राथमिक डिकी जारी की जाती है। प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार वेगू को उक्त आराजी के विभाजन किये जाने हेतु भिजवाई जावे।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार वेगू के पत्र क्रमांक/4347 दिनांक 27.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा मडावदा प.ह. अनोपपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री धीसालाल पिता कालु गुर्जर सा. देह खातेदार रहन आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा वेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
842 मे	0.29	12.58
843 मे	0.07	3.15
844 मे	0.09	3.91
845 मे	0.09	3.91
846 मे	0.02	0.05
944 मे	0.04	0.10
945 मे	0.04	0.10
946 मे	0.06	0.15

कीता- 08 0.70 हैक्टर 23.95

2- अन्नु पिता रामचन्द्र 1/80, गंगाराम पिता कालु 1/20, जेतीबाई पति रतनलाल 1/60, पूजा पिता रामचन्द्र 1/80, फोरी पिता स्व. रामचन्द्र 1/80, बरजीबाई पति स्व. हीरा 2/15 बाधचन्द्र पिता कालु 1/20 भेरूलाल पिता मोडा 2/15, मांगीलाल पिता मोडा 2/15, राजूलाल पिता रतनलाल 1/60, रामेश्वर लाल पिता काना 1/10 शम्भूलाल पिता सीताराम 1/15, शिवलाल पिता सीताराम 1/15, ना. वा. संजय पिता रामचन्द्र स.प. माता फोरीबाई 1/80, सायर पिता सीताराम 1/15, हरकूबाई पति खाना 1/10, हाबुलाल पिता रतनलाल 1/60, जाति गुर्जर सा. देह खातेदार रहन भेरूलाल का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाख वेगू मांगीलाल का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरिया कलां, रामेश्वरलाल, हरकूबाई का हिस्सा एस.वी.वी.जे. बैंक शाखा वेगू शम्भूलाल का बी.आर. के.जी. बी. शाखा दुकराई, शिवलाल का ग्रा.से.स.स.लि. आँवलहेडा

सहायक कलेक्टर
(उपग्रह अधिकारी)

<u>आराजी संख्या</u>	<u>रकबा हैक्टर</u>	<u>लगान</u>
836	0.11	4.77
837	0.08	3.47
838	0.11	4.77
839	0.04	0.10
840	0.46	19.96
841	0.46	19.96
842 मे	0.12	5.21
843 मे	0.41	17.68
844 मे	0.43	18.66
845 मे	0.30	13.09
846 मे	0.29	0.72
944 मे	0.27	0.67
946 मे	0.23	0.57

कीता- 14 3.52 हैक्टर 110.08

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
 सहायक कलक्टर,
 (उपखण्ड अधिकारी)बेगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनरवी नरेश

दावा सं० : 19/19

1:- धीसालाल पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
.....वादीगण

- बनाम -

- 1:- बाधचंद पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 2:- गंगाराम पिता कालू गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 3:- संजय पिता रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 4:- अन्नू पिता रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 5:- पूजा पिता रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 6:- फोरी पत्नी रामचन्द्र गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 7:- राजूलाल पिता रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 8:- हाबूलाल पिता रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 9:- जेतीबाई पत्नी रतनलाल गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 10:- रामेश्वरलाल पिता काना गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 11:- हरकू पत्नी खाना गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 12:- शिवलाल पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 13:- शंभू पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 14:- सायर पिता सीताराम गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 15:- बरजी पत्नी हीरा गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 16:- मांगीलाल पिता मोडा गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 17:- भैरूलाल पिता मोडा गुजर निवासी मडावदा तह0 वेगू
- 18:- श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय वेगू
.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.10.2024 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुजर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मडावदा प.ह. अनोपपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- श्री धीसालाल पिता कालू गुजर सा. देह खातेदार रहन आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा वेगू

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
842 मे	0.29	12.58
843 मे	0.07	3.15
844 मे	0.09	3.91
845 मे	0.09	3.91
846 मे	0.02	0.05
944 मे	0.04	0.10
945 मे	0.04	0.10
946 मे	0.06	0.15

कीता- 08 0.70 हैक्टर 23.95

2- अन्नू पिता रामचन्द्र 1/80, गंगाराम पिता कालू 1/20, जेतीबाई पति रतनलाल 1/60, पूजा पिता रामचन्द्र 1/80, फोरी पिता स्व. रामचन्द्र 1/80, बरजीबाई पति स्व. हीरा 2/15 बाधचन्द पिता कालू 1/20 भैरूलाल पिता मोडा 2/15, मांगीलाल पिता मोडा 2/15, राजूलाल पिता रतनलाल 1/60, रामेश्वर लाल पिता काना 1/10 शम्भूलाल पिता सीताराम 1/15,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगू (चित्तौडगढ़)

ल पिता सीताराम 1/15, ना. बा. संजय पिता रामचन्द्र रा.प. माता फोरीबाई 1/80, सायर सीताराम 1/15, हरकूबाई पति खाना 1/10, हाबुलाल पिता रतनलाल 1/60, जाति गुर्जर देह खातेदार रहन भैरूलाल का हिरसा बैंक ऑफ बडौदा शाख बेगू मांगीलाल का हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाख सामरिया कलां, रामेश्वरलाल, हरकूबाई का हिरसा एस.वी.वी.जे. बैंक शाखा बेगू शम्भूलाल का बी.आर.के.जी. बी. शाखा तुकराई, शिवलाल का प्रा.से.स.स.लि. आंवलहैडा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
836	0.11	4.77
837	0.08	3.47
838	0.11	4.77
839	0.04	0.10
840	0.46	19.96
841	0.46	19.96
842 मे	0.12	5.21
843 मे	0.41	17.68
844 मे	0.43	18.66
845 मे	0.30	13.09
846 मे	0.29	0.72
944 मे	0.27	0.67
946 मे	0.23	0.57

कीता- 14 3.52 हैक्टर 110.08

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 520

दावा संख्या 19/19 व अनवान धीसालाल बनाम बाधचन्द वगै वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जाती है।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू
दिनांक :- 25-10-24

(उपखण्ड अधिकारी) बेगू